न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–525/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

1. निकोदिम तोपनो वो 2. हेंडरी तोपनो..................आवेदक/विक्रेता

बनाम

फूलमनी देमता..विपक्षी/क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
23.11.2023	**आदेश**	

आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती निकोदिम तोपनो वो 2. श्री/श्रीमती हेंडरी तोपनो दोनों के पिता/पति जोसेफ तोपनो दोनों का ग्राम–पेलोल, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
बिचना	262	97	2360 2362 2365	0.23 0.08 0.12 0.43

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती निकोदिम तोपनो वो 2. श्री/श्रीमती हेंडरी तोपनो दोनों के पिता/पति जोसेफ तोपनो दोनों का ग्राम–पेलोल, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती फूलमनी देमता पिता/पति सालु देमता ग्राम–मुण्डा कुंजला, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0592042649 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 798 दिनांक 18.11.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खरीदगी भूमि है आवेदक पंजी.II रैयतों में से एक फुलो स्वांसी की पुत्रवधु है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी.II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 186 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 167 दिनांक 06.11.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2023/245794 दिनांक 20.07.2023 एवं आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2023/486940 दिनांक 15.07.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 798 दिनांक 18.11.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती निकोदिम तोपनो वो 2. श्री/श्रीमती हेंडरी तोपनो दोनों के पिता/पति जोसेफ तोपनो दोनों का ग्राम–पेलोल, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को क्रेता फूलमनी देमता पिता/पति सालु देमता ग्राम–मुण्डा कुंजला, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 97 खेसरा संख्या 2360, 2362, 2365 क्रमशः रकबा 0.23, 0.08 एवं 0.12 एकड़ कुल रकबा 0.43 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

30/11/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.04 12:28:11 +05:30
Location: 192.168.1.101